समाचार

<u>कलेक्टर के साथ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, प्रिंटर्स एवं प्रकाशकों की बैठक</u>

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखरी मौका

दावा–आपत्ति के लिए 31 अगस्त अंतिम तिथि

दिव्यांगों की सुविधा के लिए सभी मतदान केन्द्रों में रहेगी ट्रायसायकल की व्यवस्था

गरियाबंद 30 अगस्त 2018/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री श्याम धावड़े की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निर्वाचन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा के लिए राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों, प्रिंटर्स एवं प्रकाशकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए एक दिन और शेष है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके जो लोग अब तक नाम नहीं जुड़वा पाये हैं, वे कल 31 अगस्त तक फार्म 6 में जानकारी भरकर संबंधित मतदान केन्द्र में जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची में किसी भी मतदाता का नाम नहीं छुटना चाहिए। मतदाता सूची पर कोई भी दावा–आपत्ति करना हो, विलोपन, अन्य त्रुटि सुधार एवं स्थान परिवर्तन करना हो, तो कल तक मतदाता निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री एम.आर. आहिरे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जे.आर. चौरसिया, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, प्रिंटर्स एवं प्रकाशक उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री धावड़े ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के सुझाव पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 31 अगस्त तक अंतिम अवसर के बारे में आज शहरी क्षेत्रों में सीएमओ तथा ग्रामीण क्षेत्र में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दिये हैं। श्री धावड़े ने कहा कि जिले में 2968 दिव्यांग मतदाता चिन्हांकित

किये गये हैं। उनकी सुविधा के लिए मतदान के दिन जिले के सभी मतदान केन्द्रों में ट्रायसायकल की व्यवस्था रहेगी। इन केन्द्रों में दिव्यांगों के लिए रैम्प की व्यवस्था भी की गई है। जिन मतदान केन्द्रों में कुछ कमी रह गई है, उसे 10 सितम्बर तक ठीक करा लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता के लिए 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक हाट बाजार और प्रमुख चौक–चौराहों में वीवीपीएटी और ईव्हीएम का प्रदर्शन किया जायेगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा हैं। राजनीतिक पार्टी मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए किसी गांव या स्थल में मतदान मशीनों का प्रदर्शन कराना चाहते हैं, वहां भी शिविर लगाकर मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

श्री धावड़े ने कहा कि निर्वाचन के संबंध कोई समस्या हो तो कन्ट्रोल रूम के फोन नंबर 07706–241288 पर संपर्क किया जा सकता है। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने कहा कि सभी के सहयोग से आगामी विधानसभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होगा। सभी राजनीतिक दल अपने बूथ एजेंट की नियुक्ति कर उसकी एक सूची प्रदान करें। बैठक में विज्ञापन तथा प्रचार–प्रसार सामग्री के मुद्रण हेतु अनुमोदित दर की प्रतियां वितरित की गई। इस दर पर सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने अपनी सहमति जताई। मीडिया प्रमाणन एवं व्यय अनुवीक्षण समिति के गठन की जानकारी भी बैठक में दी गई।

———————————————————————————————